

आवेदन-पत्रों को अग्रेषित करने से पूर्व कृपया इन समस्त नियमों/निर्देशों का अवलोकन अवश्य करें

परीक्षा-I/2014/8000

परीक्षा प्रपत्र - 34



## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

### स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करने का अधिकार पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,

.....  
..... (राजस्थान)

अग्रेषण अधिकारी कोड

F -

क्रमांक - परीक्षा - 1/ 2014/सैल-

दिनांक :

महोदय/महोदया,

वर्ष 2014 की परीक्षाओं के लिए स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रेषण हेतु आपको अग्रेषण अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आपका FO कोड ऊपर लिखा हुआ है।

1. आपको नीचे दिये गये निर्देशानुसार सभी परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हैं। आपको अधिकतम 600 परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करने हैं।
2. इस वर्ष ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क के चालान तथा अग्रेषण सूची परीक्षा शुल्क विवरण प्रपत्र 127 के साथ आपके विद्यालय के निकटतम नोडल केन्द्र पर जमा कराने हैं। जिसकी सूचना आपको पूर्व में भेजी जा चुकी है। यह सूची बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
- 2A. मुख्य परीक्षा शुल्क ऑन लाईन व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा कराया जा सकता है। विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या (iii) पर देखें।
3. वर्ष 2014 की परीक्षाएं 6 मार्च, 2014 से प्रारम्भ होंगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यथा समय घोषित कर दिया जायेगा।

**विशेष:-** (i) निर्धारित तिथियों तक सामान्य परीक्षा शुल्क बैंक में जमा नहीं कराया जाता है तो परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा अतिरिक्त शुल्क सहित स्वीकार किया जावेगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अन्तिम तिथिके पश्चात् आवेदन-पत्र/शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क के आवेदन-पत्र जिले में अधिकृत अग्रेषण अधिकारीद्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि आप इसके लिए अधिकृत हैं तो ही स्वीकार करें।

4. आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व आवेदन-पत्र की पूर्ति, आवेदन करने की तिथियां, परीक्षा शुल्क, पात्रता एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया परिशिष्ट 1 से 7 का भली भांति अध्ययन कर लें :-

परिशिष्ट - 1 आवेदन पत्र भरने की तिथियां एवं शुल्क का विवरण एवं बैंक में ऑन लाईन शुल्क जमा कराने के निर्देश।

परिशिष्ट - 2 अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय के माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट - 3 उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी नियम।

परिशिष्ट - 4 आवेदन-पत्र भरवाने, परीक्षार्थी की पहचान, आवेदन-पत्र की जांच एवं नोडल केन्द्र पर जमा कराने संबंधी जानकारी।

परिशिष्ट - 5 आवेदन-पत्र भरे जाने के पश्चात् केन्द्र एवं विषय परिवर्तन संबंधी जानकारी।

परिशिष्ट – 6 श्रेणी/अंक सुधार/अतिरिक्त विषय/वर्ग परिवर्तन हेतु नियम।

परिशिष्ट – 7 सामान्य निर्देश एवं इस वर्ष के प्रमुख निर्णय।

**अति आवश्यक निर्देश :-** बोर्ड द्वारा डाक से आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क का ड्राफ्ट प्राप्त करने की व्यवस्था विगत वर्षों से समाप्त कर दी गई है। ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र/परीक्षाशुल्क का चालान की रसीद अब विद्यालय हेतु निर्धारित "नोडल केन्द्र" पर ही जमा कराये जा सकेंगे।

1. परीक्षा आवेदन-पत्र, परीक्षा शुल्क का चालान रसीद तथा अग्रेषण सूची इत्यादि सभी एक साथ प्रपत्र-1 2 5 "आवेदन-पत्र भेजने के निर्देश" के अनुसार अन्तिम तिथियों तक विद्यालय के कर्मचारी को भेजकर आपके विद्यालय हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है। इन्हें डाक द्वारा नहीं भेजा जावे।
2. नोडल केन्द्र पर आवेदन-पत्र जमा कराने हेतु जाने वाले कर्मचारी को वास्तविक वाहन व्यय अग्रेषण शुल्क की राशि से वहन किया जायेगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक तक परीक्षा शुल्क बैंक में तथा परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र पर जमा कराना आवश्यक है।
3. सभी विद्यालय/अग्रेषण अधिकारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिनांक तक परीक्षा शुल्क बैंक में तथा परीक्षा आवेदन पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराना आवश्यक है।
4. यदि कोई विद्यालय/अग्रेषण अधिकारी बैंक में निर्धारित दिनांक तक शुल्क जमा करा देता है। किन्तु आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक नोडल केन्द्र पर जमा नहीं करा पाता है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऐसे प्रकरण में बैंक में जमा करवाई राशि में से 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के काट कर शेष राशि विद्यालय/अग्रेषण अधिकारी को लौटा दी जावेगी। इससे परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान/अग्रेषण अधिकारी की होगी।
5. सामान्य परीक्षा शुल्क, दुगुने परीक्षा शुल्क तथा असाधारण परीक्षा शुल्क का आपस में समायोजन नहीं किया जायेगा।
6. परीक्षा शुल्क जिस परीक्षार्थी के लिये जमा हुआ है उसी का परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार होगा। अन्य परीक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं किया जायेगा।
7. बोर्ड कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः आवेदन-पत्र/शुल्क के चालान रसीद स्वीकार नहीं होंगे। इन्हें वापस लौटा दिया जायेगा। परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाला प्रधान की होगी।
8. आपको यदि असाधारण विलम्ब शुल्क के लिए अग्रेषण अधिकारी बनाया गया है तो ही असाधारण विलम्ब शुल्क के आवेदन पत्र स्वीकार करें अन्यथा नहीं। असाधारण विलम्ब शुल्क हेतु प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को ही अग्रेषण अधिकारी बनाया जाता है, जिसकी सूची स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों के साथ लगे निर्देशों में दी गई है।
9. निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र, शुल्क के जमा कराने की चालान रसीद एवं अग्रेषण सूची सभी एक साथ आपके विद्यालय हेतु निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें। विलम्ब के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश से वंचित रहता है तो अग्रेषण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विलम्ब से आवेदन-पत्र/शुल्क प्राप्त होने पर अन्तिम तिथि अनुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क/असाधारण परीक्षा शुल्क लिया जा सकेगा। यह शाला प्रधान की जिम्मेदारी होगी।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,  
अजमेर

## परिशिष्ट – 1

### 1. (i) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने, चालान बनवाने तथा जमा कराने की अन्तिम तिथियाँ :-

	परीक्षा शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	ऑनलाईन फार्म भरने की अन्तिम तिथि	शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अन्तिम तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क(कोड A)	500/-	50/-	21.08.2013	22.08.2013	30.08.2013
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	1000/-	50/-	05.09.2013	06.09.2013	13.09.2013
3. असाधारण परीक्षा शुल्क सहित केवल जिला मुख्यालय पर अधिकृत एक अग्रेषण अधिकारी	1500/-	50/-	30.11.2013	02.12.2013	05.12.2013

### (ii) पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण व शुल्क जमा कराकर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिये :-

	परीक्षा शुल्क	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय	फार्म भरने की अन्तिम तिथि	शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की तिथि
1. सामान्य परीक्षा शुल्क(कोड A)	500/-	50/-	07.10.2013	08.10.2013	15.10.2013
2. एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित (कोड B)	1000/-	50/-	14.10.2013	15.10.2013	21.10.2013
3. असाधारण परीक्षा शुल्क सहित केवल जिला मुख्यालय पर अधिकृत एक अग्रेषण अधिकारी	1500/-	50/-	30.11.2013	02.12.2013	05.12.2013

- नोट :-** अ. यदि उपरोक्त तिथियों में कोई परिवर्तन होता है तो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर सूचित कर दिया जायेगा।  
 ब. किसी तिथि को राजकीय अवकाश होने पर आगामी तिथि अन्तिम तिथि मानी जावेगी।  
 स. प्रायोगिक परीक्षा शुल्क- रु.50/- (प्रति प्रायोगिक विषय) परीक्षार्थी से लिया जावेगा।

### 2. परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरना :-

नियमित परीक्षार्थियों की भांति स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र भी ऑनलाईन भरे जायेंगे। परीक्षार्थियों से नमूने के भेजे गये परीक्षा आवेदन-पत्र भरवावें तथा इन परीक्षा आवेदन-पत्रों के आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जावे। रिक्त परीक्षा आवेदन-पत्र का नमूना आपको भेजा जा रहा है। इसकी फोटो प्रतियां करवाकर उपयोग में ली जावे। रिक्त परीक्षा आवेदन-पत्र का प्रारूप बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु वेबसाइट पर Fill Exam. Form for Private Candidate (स्वयंपाठी परीक्षार्थी) के Link का चयन करें। शेष व्यवस्था नियमित परीक्षार्थियों की भांति अथवा वेबसाइट पर दिये गये निर्देशानुसार करें।

### 3. परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा कराना :-

परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने तथा Data Lock करने के पश्चात चालान एवं अग्रेषण सूची ऑनलाईन मुद्रित होगी। चालान में परीक्षा शुल्क का पूर्ण विवरण होगा तथा यह चार प्रतियों में होगा। चालान पर वैधता दिनांक भी

होगी। इस तिथि तक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क राजस्थान में स्थित स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाईन जमा कराया जा सकता है।

ऑनलाईन शुल्क जमा कराने हेतु चालान तथा अग्रेषण सूची की दो प्रतियां परीक्षा शुल्क के साथ बैंक को प्रस्तुत करें। बैंक द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात चालान की तीन प्रतियां एवं अग्रेषण सूची की एक प्रति बैंक मुहर लगाकर वापस दी जायेगी।

#### 4. आई.डी एवं पासवर्ड :-

विद्यालय का नियमित परीक्षार्थियों के लिये जो आई.डी. एवं पासवर्ड है वहीं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय रहेगा। किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र Fill Exam. Form for Private Candidate नामक लिंक पर जाकर भरे जा सकेंगे।

#### 5. बोर्ड को शुल्क की रसीद एवं अग्रेषण सूची का प्रेषण -

बैंक में चालान फॉर्म द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद **लौटाई गई 3 प्रतियों में से** क्रमांक 3 वाली प्रति अपने कार्यालय हेतु सुरक्षित रख कर क्रमांक 1 व 2 की प्रतियां, ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र, अग्रेषण सूची (बैंक द्वारा प्रमाणित) की एक प्रति तथा प्रपत्र 127 निर्धारित तिथियों तक नोडल केन्द्र पर जमा करवायें। चालान का नमूना प्रति अन्तिम पृष्ठ पर देखें। अग्रेषण सूची की प्रमाणित एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

**नोट :- बैंक द्वारा ऑन लाईन शुल्क जमा कराने हेतु रू. 40/- प्रति चालान कमीशन चार्ज लिया जायेगा। जिसका भुगतान अग्रेषण शुल्क में से करना है।**

**कृपया विशेष रूप से ध्यान रखें कि चालान पर मुद्रित निर्धारित दिनांक तक परीक्षा शुल्क बैंक में अवश्य जमा करा दें। नियत तिथि उपरान्त शुल्क बैंक द्वारा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा। शुल्क जमा न होने की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय की स्वयं की होगी।**

#### 6. शुल्क में छूट :-

दृष्टिहीन परीक्षार्थियों, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों से तथा विकलांग परीक्षार्थियों से जिन्हें परीक्षा शुल्क देने से मुक्त कर दिया है उनसे केवल टोकन शुल्क रू. 45/- लिया जाना है। सामान्य परीक्षा शुल्क की तिथि के बाद आवेदन करने वाले ऐसे परीक्षार्थियों को टोकन शुल्क के अलावा अन्य परीक्षार्थियों के समान सामान्य परीक्षा शुल्क रू. 500/- अतिरिक्त देना होगा। विकलांग परीक्षार्थियों की परिभाषा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिए निर्धारित की गई परिभाषा मानी जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांग परीक्षार्थी को निर्धारित प्रोफार्मा में जारी किये गये प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जावेगी। स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनके पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, जिनसे बोर्ड की शर्तें पूरी हो, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराने से छूट प्रदान की गई है। ऐसे परीक्षार्थी आवेदन करने के बाद केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन कर प्रविष्ट होना चाहते हैं तो उनसे एक सामान्य परीक्षा शुल्क राशि ली जावेगी।

#### 7. अग्रेषण शुल्क :-

आपको परीक्षार्थियों से शुल्क लेकर इन्हें आवेदन-पत्र देना है तथा निश्चित तिथि तक परीक्षार्थियों द्वारा भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्रों के आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना तथा चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराना है। ऑनलाईन भरे हुए परीक्षा आवेदन-पत्र, अग्रेषण सूची प्रपत्र 127 के साथ संबंधित नोडल केन्द्र पर जमा करानी है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये आप परीक्षार्थी से परीक्षा शुल्क के अलावा रू. 40/- अग्रेषण शुल्क अलग से लें। इस शुल्क का हिसाब अलग रखा जाये। इसे विद्यालय के किसी भी कोष में जमा नहीं कराना है। प्राप्त शुल्क तथा आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने में जो खर्चा हो उसका भी विस्तृत हिसाब रखें जिसे शिक्षा विभाग तथा बोर्ड के अधिकारी कभी भी देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी से प्राप्त अग्रेषण शुल्क को निम्नानुसार वितरित किया जायें:-

1. अग्रेषण अधिकारी/विद्यालय प्रधान	रु. 2.50
2. परीक्षा प्रभारी	रु. 2.00
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु. 1.00
4. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना, बैंक में शुल्क जमा कराना तथा आवेदन-पत्र नोडल केन्द्र पर जमा कराने इत्यादि का व्यय	रु. 34.50
योग	<u>रु. 40.00</u>

### 8. शुल्क का हिसाब एवं प्रेषण :-

परीक्षार्थी से प्राप्त परीक्षा शुल्क का हिसाब अलग से कैश बुक में रखा जाए। परीक्षार्थी से परीक्षा शुल्क बैंक चालान अथवा ड्राफ्ट के रूप में कदापि नहीं लिया जाए। परीक्षार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क ऑनलाईन मुद्रित चालान के माध्यम से निर्धारित तिथियों में बैंक में जमा करावें। बैंक चालान निर्धारित तिथियों में जमा नहीं होने पर तथा बाद की तिथि का होने पर नियमानुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क अथवा असाधारण शुल्क (प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से जो भी लागू हो) अग्रेषण अधिकारी को देना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि चालान द्वारा बोर्ड द्वारा स्वीकृत बैंक के बोर्ड के खाते में बैंक की निकटतम शाखा में जमा करावें। शुल्क जमा कराने के पश्चात् चालान की 1 व 2 नम्बर की प्रतियां, आवेदन-पत्रों के साथ ही नोडल केन्द्र पर जमा करावें।

### कृपया ध्यान दें :-

(अ) परीक्षा शुल्क पोस्टल आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ब) परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में व्यक्तिगत रूप से बोर्ड कार्यालय में नकद जमा नहीं किया जायेगा।

परीक्षा शुल्क जमा करके आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, यदि परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है और यदि अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन-पत्र वापस कर शुल्क चाहता है तो कृपया इस आशय का प्रार्थना पत्र लेकर उससे आवेदन-पत्र वापस ले लें और 100/- काटकर शेष राशि लौटा दें, परीक्षार्थी से आवेदन-पत्र जमा कराने एवं शुल्क प्राप्त करने की पावती, उसी रसीद के प्रतिपण के पीछे ले लें, जो आपने शुल्क जमा करते समय दी थी। प्रत्येक अन्तिम तिथि के पश्चात् आप जो हिसाब भेजें उसमें ऐसे सब समायोजन दर्शाएं।

**नोट :-** अग्रेषण अधिकारी परीक्षार्थी से आवेदन-पत्र प्राप्त करते समय आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से देवें।

## परिशिष्ट – 2

### पात्रता प्रमाण-पत्र :-

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र :-

**नोट : 1 . अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं दिनांक भरनी होगी। अतः आवेदन-पत्र भरने से पूर्व पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**

**2. ऑन-लाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय पात्रता प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं दिनांक सही भरें। गलत या फर्जी नम्बर भरने पर परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर शाला प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।**

### कैसे प्राप्त करें पात्रता प्रमाण-पत्र :-

पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये परीक्षार्थी को अपनी माध्यमिक स्तर की उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र, एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate), तथा सक्षम अधिकारी Counter Signed T.C. तथा इनकी एक-एक प्रमाणित फोटो प्रतियां एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन कर निर्धारित अन्तिम तिथियों तक बोर्ड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। पात्रता प्रमाण-पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा एक दिवस में ही उपलब्ध करा दिया जाता है।

### क्या मूल पात्रता प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है? :-

हाँ, ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन के मुद्रित आवेदन-पत्र के साथ अन्य प्रलेखों की प्रतियोंके साथ-साथ पात्रता प्रमाण-पत्र भी मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत विवरण हेतु परिशिष्ट 3 बिन्दु (iv) देखें।

### पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क -

सामान्य परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक -	100/- रुपये
दोगुने परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक -	200/- रुपये
असाधारण परीक्षा शुल्क से परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक -	300/- रुपये
विशेष परिस्थिति में यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात् जारी किया जाता है तो	500/- रुपये
यदि कोई विद्यालय अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से कक्षा 10/11 उत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 11/12 में बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के प्रवेश देता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र शुल्क के साथ प्रति विद्यार्थी (1000/- रुपये) दण्ड राशि भी ली जावेगी। जो शाला को वहन करनी होगी।	

## परिशिष्ट - 3

### 1. उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा हेतु पात्रता :-

उच्च माध्यमिक परीक्षा में निम्नांकित श्रेणी वाले परीक्षार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे :-

- (i) जो पूर्व में किसी वर्ष में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अनुत्तीर्ण हो, हायर सैकण्डरी अथवा तत्सम अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा माध्यमिक या समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात् विद्यालय स्तर की कक्षा-11 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हो पात्रता के अन्य नियमानुसार परीक्षा में प्रविष्ट होने योग्य होंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को उसी वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा देनी होगी जिस वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- (ii) इस बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा अनुत्तीर्ण छात्र तथा सैकण्डरी/प्रवेशिका अंग्रेजी सहित मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी एक वर्ष के अन्तराल के बाद अगले वर्ष में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।
- (iii) उच्च माध्यमिक परीक्षा में **विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग तथा कला वर्ग के भूगोल व मनोविज्ञान विषय में कोई भी परीक्षार्थी प्रथम बार स्वयंपाठी रूप से परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।** परीक्षार्थी से प्राप्त आवेदन पत्र की एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लें कि आवेदन पत्र में विवरण परीक्षार्थी ने स्वयं सही तथा पूर्ण भर दिए हैं।
- (iv) **अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक (कक्षा-10) परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राजस्थान बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड कार्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जो निम्नांकित आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि एवं शुल्क के लिये परिशिष्ट-2 देखें।**
  - (अ) माध्यमिक परीक्षा उस बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका में समकक्षता सूची में शामिल हो। अनुदेशिका राजस्थान बोर्ड की मान्यता प्राप्त शालाओं में उपलब्ध है।
  - (ब) पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु कक्षा-10 में संबंधित बोर्ड से उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम पांच विषयों में प्रत्येक में 33 प्रतिशत अंक सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा-12 में नियमित प्रवेश हेतु कक्षा-11 की गृह परीक्षा संबंधित बोर्ड की योजनानुसार उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  - (स) यदि किसी विषय/विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक है और फिर भी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है तो उसके कुल निर्धारित पूर्णांकों के लिये जो देय होते हैं, के एक प्रतिशत अंकों का लाभ सानुग्रह अंकों के रूप में प्रवेश की पात्रता जांचने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक कुल विषयों के निर्धारित पूर्णांकों के आधार पर एक प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होंगे। इस प्रकार दिये गये सानुग्रह अंकों का लाभ एक विषय या विषयों की कमी को पूर्ण करने हेतु देय होगा। यदि संबंधित अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय में सानुग्रह अंकों का लाभ पहले ही परीक्षार्थी को दे रखा है, तब यह देखा जायेगा कि बोर्ड के एक प्रतिशत सानुग्रह अंक देने के उपर्युक्त वर्णित नियमानुसार परीक्षार्थी को कुल सानुग्रह अंकों

का लाभ मिल चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सानुग्रह अंकों का लाभ ऐसे सभी मामलों में बोर्ड के नियमानुसार परीक्षार्थी की प्रवेश पात्रता देखने हेतु देय होगा। सानुग्रह अंक प्रदान करने का यह नियम सभी बोर्ड/विश्वविद्यालयों के मामलों में लागू माना जायेगा चाहे वहां सानुग्रह अंक प्रदान करने का नियम हो अथवा नहीं, किन्तु पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सानुग्रह अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

**(द) जामिया उर्दू, अलीगढ़ (उ.प्र.) की अदीब परीक्षा व अदीब माहिर परीक्षा की इस बोर्ड द्वारा जून 2011 से मान्यता समाप्त की जा चुकी है। अतः यह परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा।**

(v) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख संलग्न करें :-

(अ) कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

**या**

(ब) कक्षा 12 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की मूल अंक तालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(स) यदि माध्यमिक स्तर की परीक्षा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है तो मूल पात्रता प्रमाण-पत्र।

**2. माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा हेतु पात्रता :-**

(i) बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में केवल वे ही परीक्षार्थी प्रवेश पा सकेंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत कर ली हो। कक्षा 8 उत्तीर्ण कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत करने के एक वर्ष के अन्तराल के बाद, अगले वर्ष में वह स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। केवल कक्षा 9 अनुत्तीर्ण की टी. सी. के आधार पर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।

(ii) विद्यालय स्तर की कक्षा-11 की स्थानीय परीक्षा के साथ बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी-2 व श्रेणी-6 में स्वयंपाठी छात्र के रूप में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी, किन्तु पूर्व में लिये गये उसी वर्ग/विषयों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

(iii) इस बोर्ड/विश्वविद्यालय से सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष परीक्षा अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद उसी परीक्षा में दोबारा श्रेणी-1 में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी। **किन्तु यदि वे समकक्ष किसी** अन्य परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो उन्हें केवल आगामी वर्ष में ही प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

(iv) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख संलग्न करें :-

(अ) कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत की मूल अंक तालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ब) यदि कक्षा 8 नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत की है तो पूर्व शाला की टी. सी. की शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

**या**

माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की मूल अंक तालिका एवं शालाप्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(v) इस बोर्ड से पूर्व में पुरानी स्कीम से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि नवीन पद्धति से 10+2 योजना अन्तर्गत पुनः माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे तो इसकी अनुमति श्रेणी-2 में दी जा सकेगी।

**परिशिष्ट - 4**

**1. आवेदन पत्र भरवाना एवं अग्रेषित करना :-**

रिक्त परीक्षा आवेदन पत्रों की प्रति नमूने के तौर पर आपको भेजी जा रही है। आप इनकी फोटो प्रति करा लें।

ये परीक्षा आवेदन-पत्र परीक्षार्थियों से भरवाने हैं तथा इनके आधार पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने हैं।

परीक्षा आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं निर्देश बोर्ड वेबसाइट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

जो परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2014 में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व

उनसे निर्धारित तिथियों के अनुसार सामान्य/ अतिरिक्त परीक्षा शुल्क तथा अग्रेषण शुल्क अग्रिम रूप से प्राप्त कर लें जिसके लिए परीक्षार्थी को रसीद भी दें और अपनी शाला की मुहर और हस्ताक्षर भी करें। आवेदन पत्र पर रसीद का क्रमांक व दिनांक भी अंकित कर दिया जाये। आवेदन पत्र देने से पूर्व कृपया उससे इस बात की जानकारी ले लें कि वह किस श्रेणी में परीक्षा देना चाहता है/चाहती है और मार्ग-दर्शन भी दें कि वह परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुदेश पत्र बोर्ड की विवरणिका एवं अनुदेशिका का भी अध्ययन कर लें। आवेदन-पत्रों के वितरण का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रखा जाये जिसमें निम्नानुसार कॉलम बनाये जायें :-

क्रम सं.	परीक्षार्थी का नाम	परीक्षार्थी के पिता का नाम	परीक्षार्थी का पता	आवेदन पत्र पर मुद्रित क्रमांक	परीक्षार्थी से लिये गये परीक्षा शुल्क की राशि	विद्यालय द्वारा दी गई रसीद का क्रमांक व दिनांक	परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	परीक्षार्थी द्वारा आवेदन पत्र वापस जमा कराने की दिनांक एवं अतिरिक्त शुल्क	अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रत्येक परीक्षार्थी के रजिस्टर में हस्ताक्षर लें परीक्षार्थी को यह भी बता दें कि आपका आवेदन-पत्र आपकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही स्वीकार किया जायेगा। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र जमा नहीं करता है तो इस तथ्य का इन्द्राज भी रजिस्टर में कर लें।

## 2. परीक्षा आवेदन पत्र प्रेषण के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

विगत वर्षों से डाक द्वारा आवेदन-पत्र/शुल्क प्राप्त करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सभी शाला प्रधानों को ऑनलाईन भरे हुए आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क की चालान रसीदें निर्धारित तिथि तक ही निर्धारित नोडल केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की सभी अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन-पत्र/शुल्क स्वीकार नहीं होगा। परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं होंगे जिसकी जिम्मेदारी शाला प्रधान /अग्रेषण अधिकारी की होगी।

किसी विषम परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड के सचिव महोदय को होगा।

## 3. आवेदन-पत्र स्वीकार करने से पूर्व परीक्षार्थी की पहचान :-

किसी परीक्षार्थी के नाम से अन्य व्यक्ति परीक्षा न दे सके इसकी रोकथाम के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र पर उसी व्यक्ति का फोटो लगा है जिसका यह आवेदन-पत्र है।

इस हेतु निम्नानुसार पहचान सुनिश्चित की जाये :-

- (1) परीक्षार्थी उसी विद्यालय का पूर्व में विद्यार्थी रहा हो।
- (2) परीक्षार्थी की पहचान अग्रेषण अधिकारी / विद्यालय स्टाफ द्वारा सुनिश्चित हो जाये। अथवा
- (3) अन्य परिस्थितियों में परीक्षार्थी अपने आवक्ष चित्र शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें।
- (4) परीक्षार्थी के किसी पहचान-पत्र तथा वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी संस्था द्वारा जारी पहचान-पत्र। उसकी फोटो प्रति संलग्न करें।

## 4. आवेदन पत्र स्वीकार करते समय जाँच :-

परीक्षार्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा कराया जा रहा है। यदि विलम्ब हुआ तो परीक्षार्थी से अतिरिक्त परीक्षा शुल्क ले लिया गया है। निर्धारित तिथियों के बाद आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाये। इसके बाद निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें :-



- (1) परीक्षार्थी ने सभी संबंधित प्रविष्टियों की पूर्ति कर दी है एवं अवांछित प्रविष्टियों को काट दिया है।
  - (2) निर्धारित कॉलम में वर्ग तथा श्रेणी कोड सही अंकित है।
  - (3) परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र के उसी एक श्रेणी के कॉलम को भरा है, जिसमें वह प्रवेश चाहता है और जिसमें वह प्रवेश योग्य है तथा सम्बन्धित परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ले लिया गया है एवं विषय कोड सही-सही लिखे गये हैं।
  - (4) परीक्षार्थी के आवेदन-पत्र में निर्धारित सभी स्थानों पर उसका स्वयं का पूर्ण पता लिखा है। किसी भी निजी शैक्षिक संस्था (Private Coaching Institute) का पता परीक्षार्थी न दें, यह देख लें।
  - (5) जिस परीक्षार्थी के आवेदन-पत्र के साथ राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्त/राज्य के विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है तो वह उस राज्य के शिक्षा अधिकारी/विद्यालय निरीक्षक के प्रति – हस्ताक्षर युक्त होना चाहिये।
  - (6) परीक्षार्थियों को परीक्षा देने हेतु दो स्थानों का चयन करना है। आवेदन-पत्र में यथा स्थान परीक्षा केन्द्र स्थान तथा पृथक करें उसका कोड अंकित करें। ये स्थान उसी जिले में होने चाहिये जिस जिले से परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किया जा रहा है।
  - (7) आवेदन पत्र में जन्म तिथि संलग्न मूल अंक तालिका/टी.सी. के अनुसार ही है। उसमें काटा फाँसी नहीं होनी चाहिये। आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि में अंकों व शब्दों में कोई भिन्नता तो नहीं है। प्रस्तुत टी. सी. फर्जी तो नहीं है। टी. सी. में थोड़ा सा भी संन्देह हो तो बोर्ड को अवश्य सूचित करें। परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में स्वयं के नाम तथा पिता का नाम उसी प्रकार लिखा है जिस प्रकार वह अपने प्रमाण-पत्र में लिखवाना चाहता है तथा हिन्दी व अंग्रेजी में भिन्नता तो नहीं है और वर्तनी सही है।
  - (8) सम्बन्धित परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित प्रलेख (Document) की मूल प्रति संलग्न है अथवा नहीं। प्रलेख की केवल फोटो कापी अथवा सत्य प्रतिलिपि स्वीकार नहीं करें।  
आवेदन पत्र के साथ मूल प्रलेख तथा आप द्वारा सत्यापित फोटो प्रति, दोनों भेजना जरूरी है।
  - (9) आवेदन-पत्र पर परीक्षार्थी का इसी वर्ष का लिया सफेद व काला अथवा स्पष्ट रंगीन आवक्ष चित्र लगाना है। केवल जैन साधु-साधवियों को आवक्ष चित्र से मुक्ति है। आवक्ष चित्र और घोषणा पर परीक्षार्थी को आपके सामने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना चाहिए। परीक्षार्थी का चित्र प्रमाणित करते हुए आप भी अपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और मुद्रा लगायें ताकि यह पुष्टि हो सके कि परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र व कम्प्यूटर डाटा फार्म अग्रेषित किया है जिनके चित्र उस पर लगे हुए हैं।
  - (10) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 पर दी गई है।
  - (11) प्रत्येक परीक्षार्थी से आवेदन पत्र में पिता के नाम के साथ-साथ माता का नाम भी आवश्यक रूप से लिखवाना है। यदि वे दोनों में से किसी एक का नाम लिखने की स्थिति में न हो तो उनसे कारण सहित प्रार्थना-पत्र लिया जाये और यदि माता एवं पिता दोनों का नाम नहीं लिखना चाहे तो अनाथालय/अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त कर अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। महिलाओं को भी माता पिता का नाम लिखना है पति का नाम नहीं लिखना है।
5. राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले परीक्षार्थी भी स्वयंपाठी के रूप से बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में बैठ सकते हैं, परन्तु उन्हें उनके आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा राज्य में नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से ही अग्रेषित कराने हैं। अतः आपके पास यदि कोई परीक्षार्थी आते हैं तो आप उसे आवेदन पत्र देवें और उसके द्वारा पूर्ति कर वापस देने पर अग्रेषित कर दें। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की आप कृपया पूरी तरह जांच करें एवं देख लें कि परीक्षार्थी ने सभी आवश्यक साक्ष्य और प्रलेख प्रस्तुत कर दिये हैं। पूर्ण सन्तुष्टि के बाद ही कृपया आवेदन पत्र अग्रेषित करें।

## 6. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरना :-

परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये परीक्षा आवेदन-पत्र के आधार पर बोर्ड की वेबसाइट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर लॉगिन करने के लिये दिये गये निर्देशानुसार ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरें। परीक्षार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके Upload करें। तत्पश्चात् नियमित परीक्षार्थियों हेतु दिये गये निर्देशानुसार चालान एवं अग्रेषण सूची मुद्रित करवा कर परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथियों में आई.सी.आई.सी. बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा करावें। शुल्क जमा कराने के पश्चात् चालान फार्म पर दिये गये Transaction ID/No. Website पर Feed करके परीक्षा आवेदन-पत्र मुद्रित करें। ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के विस्तृत निर्देश नियमित परीक्षार्थी के अग्रेषण अधिकार प्रपत्र-33 में देखें।

## 7. आवेदन पत्रों का प्रेषण :-

ऑनलाईन भरे गये परीक्षा आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथियों के अनुसार नोडल केन्द्र पर निम्न के साथ जमा करायें।

(अ) शुल्क अग्रेषण पत्र (प्रपत्र-127)

(ब) अग्रेषण सूची (वर्गवार - दो प्रतियों में )

(स) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र ।

(द) परीक्षा शुल्क के चालान रसीदों की दो प्रतियां।

(य) यदि अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण है तो पात्रता प्रमाण-पत्र।

## 8. अग्रेषण सूची :-

परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरने के पश्चात् मुद्रित अग्रेषण सूची जो बैंक द्वारा शुल्क जमा होने के पश्चात् बैंक मुहर लगाकर आपको दी गई है, उसकी एक फोटोप्रति करा लें। मूल प्रति परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ नोडल केन्द्र पर जमा करावें तथा फोटो प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें।

## परिशिष्ट - 5

### 1. विषय परिवर्तन :-

(i) सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परीक्षार्थ आवेदन पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा :-

- 30 नवम्बर तक प्रति विषय एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर।
- 30 नवम्बर के पश्चात् 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर।
- 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर।
- परीक्षा केन्द्र पर संबंधित विषय के प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रुपये 2000/- प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर। ( उपरोक्त अनुमति बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन दिवस पूर्व तक बोर्ड कार्यालय में शुल्क एवं आवेदन-पत्र जमा होने पर ही दी जायेगी।)**  
परीक्षा केन्द्र पर यह शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

- नोट : (1) बिना शुल्क के प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) किसी परीक्षार्थी को किसी स्थान पर उसके द्वारा चाहा गया परीक्षा केन्द्र आवंटित नहीं किया जावेगा। परीक्षार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर परीक्षा केन्द्रों का आवंटन बोर्ड अपने स्तर पर करेगा।
- (3) परीक्षार्थियों को एक बार केन्द्र आवंटित होने के बाद उसी स्थान पर केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

विकलांग छात्र यदि केन्द्र/वर्ग/विषय/श्रेणी परिवर्तन करते हैं तो उन्हें भी अन्य छात्रों की भांति निर्धारित शुल्क देना होगा।

## परिशिष्ट – 6

### 1. श्रेणी/अंक सुधार/अतिरिक्त विषय एवं वर्ग परिवर्तन के संबंध में :-

अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को श्रेणी/अंक सुधार/ अतिरिक्त विषयों एवं वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी। केवल इस बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण स्वयंपाठी परीक्षार्थी ही उच्च माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी/अंक सुधार/अतिरिक्त विषयों एवं वर्ग परिवर्तन में निम्न प्रतिबंधों के साथ आवेदन कर सकते हैं:-

- (1) विज्ञान वर्ग में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थी जीव विज्ञान अथवा गणित विषय को अथवा संस्कृत साहित्य विषय अथवा कम्प्यूटर विज्ञान विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं।
- (2) अन्य सभी वर्गों में उच्च माध्यमिक परीक्षा में आवेदन करने वाले परीक्षार्थी कम्प्यूटर विज्ञान विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में भी ले सकते हैं। चतुर्थ अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के रूप में लेने पर परीक्षार्थियों से निर्धारित अतिरिक्त विषय का परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

नोट : (अ) जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य निहित है उनकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जायेगी। स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य का इस विषय में निर्धारित प्रायोगिक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र परीक्षा के समय परीक्षक को देना होगा। रुपये 50/- प्रति विषय प्रायोगिक परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

(ब) अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को एक परीक्षा शुल्क रु. 500/- प्रति विषय अतिरिक्त देना होगा।

- (3) अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र श्रेणी/अंकों में सुधार/अतिरिक्त विषय हेतु प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे।
- (4) बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रविष्ट होने के पश्चात् उच्च परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी बोर्ड की उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में यदि ऐसे विषय का चयन करता है जो उसने पूर्व में नहीं लिया है तथा उस विषय में उच्च अध्ययन नहीं किया है तो उसे उ.मा. परीक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में श्रेणी 4 में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।
- (5) श्रेणी/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से निरन्तर में मात्र एक अवसर (एक बार) तक ही प्रदान की जायेगी। (10+2 स्कीम से उत्तीर्ण परीक्षार्थी हेतु)
- (6) श्रेणी II (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है। विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत परीक्षार्थी श्रेणी II के साथ-साथ श्रेणी IV में भी आवेदन कर सकते हैं।

### एक बार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् श्रेणी (iv) (अतिरिक्त विषय) संबंधी नियम :-

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को इस परीक्षा के किसी भी संकाय में कोई भी विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित विषयों में ही अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को प्रवेशिका से संबंधित विषय तथा माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को माध्यमिक परीक्षा से संबंधित विषय में ही अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

## परिशिष्ट – 7

### (अ) सामान्य निर्देश :-

- (1) आप कृपया स्वयंपाठी परीक्षार्थी के स्वयं उपस्थित होने पर ही परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करें। आवेदन-पत्र मय शुल्क निर्धारित तिथि के अन्तर्गत ही भेजें। विलम्ब से आवेदन पत्र भेजने से परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो पाया तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अग्रेषण अधिकारी की होगी। मामले की गम्भीरता को देखते हुए संबंधित अग्रेषण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी तथा शाला की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।
- (2) मूक – बधिर परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय एवं तृतीय भाषा में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक परीक्षा में इन परीक्षार्थियों को अंग्रेजी अनिवार्य विषय में छूट प्रदान की गई है। छूट प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- (3) माध्यमिक/प्रवेशिका/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में पूरक योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मात्र पूरक परीक्षा (एक ही अवसर) देय है।
- (4) किसी भी छात्र को (केवल छात्र की मृत्यु हो जाने के अतिरिक्त) कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही सुरक्षित रखा जायेगा।
- (5) विस्तृत जानकारी के लिये विवरणिका वर्ष 2014 अवश्य देखें। सूचना बोर्ड की वेबसाईट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर भी उपलब्ध है।
- (1) विमंदित (अधिगम अक्षम) परीक्षार्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर परीक्षा हेतु अतिरिक्त समय के साथ श्रुतलेखक दिया जायेगा।
- (2) अन्य निःशक्तजन परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त समय/श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उक्त कार्यवाही परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व पूरी कर बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी है। श्रुतलेखक मिलने की स्थिति में भी एक घंटा अतिरिक्त समय देय योग्य है।
- (3) परीक्षार्थी द्वारा परीक्षार्थ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म तिथि में प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक किये गये संशोधन आदेश स्वीकार किये जावेंगे। उसके पश्चात् किये गये संशोधन आदेश स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (4) वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवक्ष चित्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रकरणों में संशोधन हेतु निर्धारित तिथि पश्चात् प्रति परीक्षार्थी रु. 100/- संशोधन शुल्क लिया जावेगा।
- (5) वर्ष 2014 की परीक्षा से ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में विद्यालयों को दी गयी संशोधन की निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले संशोधनों पर बोर्ड द्वारा नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा।
- (6) वर्ष 2014 की परीक्षा से यदि विद्यालयों द्वारा नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र में ऐसे विषय भरकर अग्रेषित किया है जिस विषय में विद्यालय को अध्यापन कराने की मान्यता प्राप्त नहीं है और स्वअध्ययन की अनुज्ञा चाहता है तो विद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष अग्रेषित प्रथम दस परीक्षार्थियों से एक परीक्षा शुल्क की राशि लेकर स्वअध्ययन की अनुज्ञा दी जावेगी। 10 छात्रों से अधिक होने पर प्रति छात्र पूर्व व्यवस्थानुसार 2,000/- रु. प्रति छात्र प्राप्त कर ऐसे विषय में स्वअध्ययन की अनुज्ञा देने का प्रावधान है। यदि विद्यालय यही त्रुटि अगले वर्ष दोहराता है तो प्रति छात्र 10,000/- रु. शास्ती शुल्क लिया जावेगा।

7. विद्यार्थी अपना वर्ग / जाति कोड संख्या सही-सही भरें। यदि जाति कोड संख्या गलत भरी हुई है या कॉलम रिक्त छोड़ा है, तो इसमें संशोधन हेतु दी गई अवधि पश्चात्/ परीक्षा परिणाम मेरिट सूची में विद्यार्थियों के जाति / वर्ग में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। संस्था प्रधान / अग्रेषण अधिकारी विद्यार्थियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों में जाति / वर्ग का अनिवार्यतः सत्यापन कर लें।
8. बोर्ड परीक्षा आवेदन – पत्र में जो जाति श्रेणियां दी गई हैं :- (1. अल्पसंख्यक 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. विशेष पिछड़ा वर्ग) विद्यार्थी उनमें से केवल किसी एक श्रेणी का ही चयन कर सकता है। अतः जो विद्यार्थी एक से अधिक श्रेणी (Caste Category) से सम्बन्धित है तो उनमें से एक ही वर्ग जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं उस वर्ग का अंकन करें। बोर्ड परीक्षा परिणाम की वरिष्ठता सूची के आधार पर दिये जाने वाले पुरस्कार या छात्रवृत्तियां या किसी अन्य लाभ के लिए इस वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग का होने पर भी आपकी गणना इसी वर्ग (बोर्ड परीक्षा आवेदन-पत्र में भरे गये जाति कोड) में ही की जायेगी तथा परीक्षा आवेदन-पत्र में संशोधन की तिथि के पश्चात् इसमें किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

-: सम्पर्क सूत्र :-  
बोर्ड कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर

पदनाम	नाम	फोन नं. कार्यालय
सचिव	श्री एम. आर. शर्मा	0145-2420597
मुख्य नियंत्रक (परीक्षा)	श्री आर. बी. गुप्ता	0145-2420071
ए.सी.पी. (उपनिदेशक) ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के संबंध में	श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट	0145-2627454
उप निदेशक (परीक्षा)	श्री शिवशंकर अग्रवाल	0145-

Website : [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in)

विस्तृत निर्देश हेतु बोर्ड विवरणिका 2014 देखें।

सचिव  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान